

पत्रावली पेश हुई। वक्तु. उप. पत्रावली में सहायक
 प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं। न्यायाद्वि
 में भवसर दिया जाता है। अन्यथा जवाब बन्द
 कर एकतरफा कामवाही की जायेगी। पत्रावली
 वास्ते जवाब दिनांक १०/११/१९ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 भिनाय (अजमेर)

१०/११/१९
 पत्रावली पेश हुई। वक्तु. उप. अप्रार्थी अधिवक्ता जवाब
 देकर पुनः समय-बाह्य हैं। पत्रावली वास्ते जवाब अंतिम
 अवसर देकर निमत हैं। प्रार्थी अधिवक्ता ने एतराज जाहिर
 किया। बाड़ी अधिवक्ता का एतराज स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी
 सं. का जवाब छु बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते दिनांक
 १०/११/१९ को वास्ते जवाब सफार पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 भिनाय (अजमेर)

१०/११/१९
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु. प्रार्थीगण स्वयं अनु.
 इन्हीं ओर से कोई अन्य वकील भी उप. नहीं। बार-२ आवाने
 लगाई गई लेकिन न्यायालय समय तक कोई उप. नहीं। अतः
 शकस प्रार्थना पत्र अलग हाजरी एवं अप्रार्थी पेश
 कर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते दिनांक १०/११/१९
 होकर नंबर से कम होकर दायर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 भिनाय (अजमेर)

